

## कार्यालय उप वन संरक्षक, इगानप, स्टेज-II, बीकानेर

क्रमांक:- एफ( )सर्वे/उवसं-स्टेज-II/2019-20/ 604  
निमित्त:-

दिनांक: 28.1.20

परियोजना निदेशक,  
एनएचएआई, पीआईयू,  
सी-38 सार्दूल गंज, बीकानेर।

विषय:-भारतमाला परियोजना सडक निर्माण पैकेज (10) में वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (प्रपोजल नम्बर FP/RJ/ROAD/41036/2019)प्रेषित करने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 83 दिनांक 20.01.2020 आपका पत्रांक 6169 24-27 दिनांक 23.01.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारतमाला परियोजना पैकेज-10 में आप द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। उक्त प्रस्तावों में सडक निर्माण के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र चक 5 एचएलएम, 2बीकेएम, 3बीकेएम, 33 सीडब्ल्यूबी, बीकमपुर बारानी का वन क्षेत्र वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया है। जबकि उक्त वन क्षेत्र के वन विभाग को भूमि आंवटन के आदेश आपके प्रतिनिधि को पूर्व में ही उपलब्ध करवा दिये गये हैं। यदि उक्त भूमि वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं है तो भी उक्त वन भूमि को प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में शामिल करके प्रस्ताव बनाया जावे। क्योंकि सुप्रीम कॉर्ट के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के अनुसार उक्त भूमि भी वन भूमि के श्रेणी में आती है। और उस पर वन अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। अतः मुल प्रस्ताव पुनः लौटाकर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में उक्त समस्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रस्ताव नोडल अधिकारी एफसी ए जयपुर के माध्यम से भिजवाये।

सलंगन :- उक्तानुसार मुल प्रस्ताव

भवदीय,



(भीम सिंह सोलंकी)

उप वन संरक्षक

इगानप.स्टेज-II,  
बीकानेर

दिनांक:- 28.1.20

क्रमांक/सम :- 605-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. जयपुर को।
2. मुख्य प्रबंधक NHAI वी-1, नित्यानन्द नगर, क्वींस रोड़, जयपुर।
3. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।



(भीम सिंह सोलंकी)

उप वन संरक्षक

इगानप, स्टेज-II  
बीकानेर